समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0 दिनांक 09.09.2013 तथा बेतार संवाद सं0-462/वि0, दिनांक 08.10. 2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 04.10.13 एवं 05.10.13 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत पुनः छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अलग से दिनांक 19.10.13 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी डॉ0 कमलेश्वरी प्रसाद मंडल पे0 श्री सरयुग मंडल सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी, सहरसा वर्तमान मधेपुरा ने अपने दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-690/106(मधेपुरा थाना) पर धारित शस्त्र सं0-166218 का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन के आरोप में इस कार्यालय के ज्ञापांक 85/श0, दिनांक 12-12-13 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

संचिका की छानवीन करने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि डॉ0 कमलेश्वरी प्रसाद मंडल की मृत्यु दिनांक 27.04. 2011 को चुकी है। इनके पुत्र श्री अजय कुमार द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र बिहार गन हाउस, मधेपुरा में एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करने का आदेश दिया गया था। श्री कुमार के द्वारा केवल शस्त्र जमा किए गए दुकान का प्राप्ति रसीद सं0-14 दिनांक 12.04.2012 की छायाप्रति समर्पित किया था। मूल अनुज्ञप्ति पुस्त उपलब्ध नहीं कराए जाने के रद्द की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 938/श0, दिनांक 03.04.2012 के द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने का निदेश जारी किया गया था, जिसका अनुपालन अनुज्ञप्तिधारी के पुत्र श्री अजय कुमार द्वारा वर्तमान समय तक नहीं किया है।

अतएव इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 938/श0, दिनांक 03.04.2012 एवं 85/श0, दिनांक 12.12.13 को यथा संशोधित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी स्व0 कमलेश्वरी प्रसाद मंडल पे0 श्री सरयुग मंडल सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी, सहरसा वर्तमान मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 690/106(मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी के पुत्र श्री अजय कुमार पे0 स्व0 डॉ0 कमलेश्वरी प्र0 मंडल सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-16, थाना+जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करें।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री कुमार द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 187 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 9.4.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडा0, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अजय कुमार पे0 स्व0 डॉ0 कमलेश्वरी प्रसाद मंडल सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-16, थाना+जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

09/04/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।